



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

चण्डीगढ़, सोमवार, दिनांक 25 अगस्त, 2003

(3 भाद्र, 1925 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय-वस्तु	पृष्ठ
भाग-I	अधिनियम	
	कुछ नहीं	
भाग-II	अध्यादेश	
	कुछ नहीं	
भाग-III	प्रत्यायोजित विधान	
	कुछ नहीं	
भाग-IV	शुद्धि परिधियां, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन	
	अधिसूचना संख्या का० आ० 56/ह० अ० 6/2003/घा० 7/2003, दिनांक 7 अप्रैल, 2003 के शुद्धि पत्र का प्रकाशन (हिन्दी तथा अंग्रेजी में)	23—24

PART IV

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

शुद्धि पत्र

दिनांक 25 अगस्त, 2003

हरियाणा सरकार राजपत्र (असाधारण) दिनांक 7 अप्रैल, 2003, में प्रकाशित हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या का० आ० 56/ह० अ० 6/2003/धा० 7/2003, दिनांक 7 अप्रैल, 2003, के मूल हिन्दी पाठ में, अन्तिम पंक्ति में, “निर्धारण” शब्द के स्थान पर “निर्धारण प्राधिकारी” शब्द पढ़े जाएं।

चन्द्र सिंह,

वित्तियुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,

आबकारी तथा कराधान विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT**EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT*****CORRIGENDUM***

The 25th August, 2003

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. S. O. 56/H. A. 6/2003/S. 7/2003, dated the 7th April, 2003, published in Haryana Government Gazette (Extraordinary), dated the 7th April, 2003, in its authorised English translation,—

- (i) under heading “FORM OF DECLARATION”, at page 276, in second line, *for* “good” *read* “goods”;
- (ii) under heading “Direction for the selling VAT dealer”, in first and second lines, *for* “the return filed by the return filed by”, *read* “the return filed by”.

CHANDER SINGH,**Financial Commissioner and Principal
Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.**